

***Action taken Report on directions of Honorable National Green Tribunal vide order dated, 20.07.2021 in O.A No-170/2021 in connection with discharge of untreated sewage of the Nagar Panchayat Lar District Deoria U.P. in open in land having Khasra No 1712 Area of 0.1980 hectares.***

**Background**

Honorable National Green Tribunal passed some order/directions dated. 20.07.2021. In this order Honorable National Green Tribunal directed that—

- 1 "Let a joint committee of additional chief secretary urban development department U.P., state PCB, District magistrate deoria and nagar panchayat lar furnish a factual and action taken report in the matter within two months by E-mail.
- 2 The joint committee may ascertain whether the district environment plan prepared for district deoria, in terms of order of this tribunal dated 05.07.2021 in O.A-360/18 shreenath sharma vs. UOI includes states of sewage management for the are in question and periodic review is conducted through district commettee.if not remedial action required. Further the report may mention the quantity of sewage generation, present status of collection and conveyance of sewage and the plan for treatment and utilisation. The report also give time bound plan to remediate existing problem where sewage is inundatad and percolating to sub-soil water, posing risks of water- borne diseases. The status may further include management of septage, its treatment and disposal.

Accordingly the action taken report in respect of the compliance of the said direction has been prepared.


**Action taken Report-**


- 1 In question Gata number: 1712, (area 0.1980 hectares), at present, the dumping of drain water by the Nagar Panchayat Lar has been completely stopped.
- 2 In revenue record Gata no. 1724 is recorded as Nala, passes besides Gata No. 1712. Which was half pucca and the rest was kachha. Due to overflow in raining season some times overflow in Gata no. 1712. But now the remaining part of 1724 which is not pucca got deepen and all measures taken so that it will not overflow in all the surrounding land.
- 3 The water of the drain is not being dumped in any natural flow.
- 4 The flow of solid waste is being stopped by putting a net in the drain.
- 5 For preliminary purification of drain water, bleaching powder is being cleaned.
- 6 The water from the drain is being treated by the process of bioremediation, being dropped in Gata No: 1724. So that the ground water does not get polluted. (Site photograph attached)
- 7 Sewer water is not being discharged in the drain in question, nor is there any sewer line in the Nagar Panchayat Lar. Septic tank, is used for domestic toilet in Nagar Panchayat Lar. A servey conducted and from 13 persons discharging sewer in open dran. Now septic tank made and now no flow of sewerage in Nala.
- 8 In the order of the directions of Hon'ble National Green Tribunal, on 03.08.2021, a meeting was held under the chairmanship of Additional Chief

*Handwritten signature/initials in blue ink.*


Secretary, Urban Development Department, Uttar Pradesh Government, Lucknow. In the meeting an instructions given to the District Magistrate, Deoria to form of committee for survey in questioned area by Letter No. 791/(1-7) LBC-2021, dated 03.08.2021. The committee submitted its report to District Magistrate Deoria on 10.08.2021. (Annexure-1) After then a meeting of the District Environment Committee was held on 11.08.2021. In which the report of the committee constituted by the District Magistrate was read out and it was decided that the problem which has been raised by Nurul Sehar Lari, resident Nagar Panchayat Lar Deoria, before Hon'ble NGT, for its solution, by Nagar Panchayat Lar. By taking the land on lease, the water of the drain in question should be treated by bioremediation process and it should be ensured that the sewage water does not fall directly into the drain. Also, considering the minutes of the meeting as part of the "District Environmental Action Plan", its report, by the Divisional Director, Social Forestry Division, Deoria, to the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, for information and necessary action. 13, dated 13.08.2021. (Annexure-2)

- 9 In compliance of the above, quotations have been invited from firms/agencies for adopting bioremediation process for water purification of the drain in question, for temporary solution of the problem. In which the quotations of Maple Argtech, Aqua Infratech, Sri Sai Construction have been received. In which the lowest rate has been presented by Maple Argtech, for which the work order has been issued. Water purification work has been started by the firm through bioremediation process. At present, the water of the drain in question is going through Fani Tola (waterlogged area of Indiranagar ward) to Chhoti Gandak, river via Ropan Chhapra Tal. The water flow of Fani Tola stops rest of the rainy season. In such a situation, under the temporary arrangement, has been made to discharge treated water in Gata No. 1724 of Nagar Panchayat Lar, which is recorded as a drain in the revenue record.
- 10 Consent has been obtained to take the water of the drain in question on lease for dumping it under short-term arrangement in Gata No. 1603, 1604, and 1748, which is the land of the cultivator. For this, the survey work has been completed by the Construction and Design Services Unit-14 Gorakhpur, to divert the drain in question to the above mentioned number. The design and detailed estimate is being prepared. Which will be sent to the Uttar Pradesh government for the allocation of funds as soon as possible.
- 11 The survey work has been completed by Construction and Design Services Unit-14, Gorakhpur, for draining the water of the drain in question under a long-term arrangement, after water purification in the Chhoti Gandak river near Chanuki Ghat. The design and detailed estimate is being prepared. Which will be sent to the Uttar Pradesh government for the allocation of funds as soon as possible.

  
(Rajan Nath Tiwari)  
Executive officer  
Nagar Panchayat Lar  
Deoria

  
(Pankaj Yadav)  
Regional officer  
U.P.State Pollution Control Board  
Gorakhpur

Anx. (1)



2/11/20

सेवा में,  
जिलाधिकारी महोदय  
देवरिया।

Anx. (2)

विषय- नुरुल रोहर लारी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण में  
योजित याचिका सम्बन्धी आख्या प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय को पत्र संख्या: 791 (1-7)/एल०बी०सी०-2021, दिनांक 03.08.2021, का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जिसमें नुरुल रोहर लारी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 170/2021 में पारित आदेश 20 जुलाई 2021 के अनुपालन में दिनांक 03.08.2021 को अपर मुख्य सचिव नगर विकास उ०प्र० शासन लखनऊ की अध्यक्षता में आहुत बैठक में दिए गए निर्देश के क्रम में प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण हेतु गठित जॉच समिति की आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है।

तदन्तर्ग में संलग्न जॉच बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैं-

1. बिन्दु संख्या 1 के सन्दर्भ में अवगत कराना है, कि प्रश्नगत नाले के सम्पूर्ण कैचमेन्ट एरिया जिसमें 1050 परिवार अवस्थित हैं जिनकी कुल जनसंख्या 4200 हैं एवं प्रश्नगत नाले से होकर 0.27 एम०एल०डी० की मात्रा में घरों का पानी प्रवाहित होता है। जॉच के दौरान यह पाया गया कि 13 ऐसे परिवार हैं, जिनके पास शौचालय तो मौजूद है, परन्तु उनके सेप्टिक टैंक भर जाने से पानी सीधे नाली में आ रहा था। इन व्यक्तियों के सेप्टिक टैंक को नगर पंचायत लार के सीवर सवसन मशीन से खाली कराया गया है, एवं सम्बन्धित व्यक्तियों (सूची संलग्न) को नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 276 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया है, कि भवन स्वामी द्वारा इसकी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करा लिया जाय एवं भविष्य में सीवर का गन्दा पानी नाले में न बहाया जाए।
2. बिन्दु संख्या 2 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रस्तावित नाले के आगणन को सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड देवरिया द्वारा देखा गया। प्रस्तावित नाले का आगणन लोक निर्माण विभाग के प्रचलित दरों के आधार पर बनाया गया है। परन्तु वर्तमान में नाले की जो क्षमता है उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है, तथा नाला अंततः दूसरे कारस्तकार के खेत में जाकर समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नाले को पक्का कराने का कोई औचित्य नहीं है। स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया कि नगर पंचायत लार की सीमा के परिधि में कोई प्राकृतिक बहाव नहीं है, ऐसी स्थिति में नगर पंचायत की सीमा से पाँच कि०मी० उत्तर से होकर प्रवाहित होने वाली छोटी गंडक नदी के प्राकृतिक बहाव में प्रश्नगत नाले को जोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज यूनिट 14 गोरखपुर को विस्तृत आगणन तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा इस कार्य हेतु कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज यूनिट 14 गोरखपुर द्वारा सर्वे का कार्य जारी है। सर्वे के उपरान्त प्राप्त डिजाइन एवं विस्तृत आगणन 10 दिवस के अन्दर उ०प्र० शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्नगत नाले को दो चरणों में विभाजित किया गया है। जिसमें प्रथम चरण चनुकी मोड़ से गजेड़ी मोड़ एवं दूसरा चरण गजेड़ी मोड़ से चनुकी घाट पुल तक प्रस्तावित है। प्रथम चरण के नाला निर्माण के पश्चात नाले का पानी गिराने हेतु स्थानीय कारस्तकार से वार्ता कर गाटा संख्या 1603, 1604 एवं 1748 को चिन्हित किया गया है, जिसमें बायोरेमिडिएशन प्रक्रिया द्वारा जल शोधन कर पानी गिराया जायेगा। एकत्रित जल को मछली पालन तथा स्थानीय किसानों के फसल के सिंचाई हेतु प्रयोग में भी लाया जायेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त दिए गए 5 बिन्दुओं के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

1. बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि नगर पंचायत लार की वर्तमान जनसंख्या 33994 है जिसके अनुसार उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा 2.18 MLD (Millions of Liter per day) है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत नाले के पानी का COD (Chemical Oxygen Demand) 280 mg/ltr एवं BOD (Biological Oxygen Demand) 52 mg/ltr हैं, जो कि मानक से अधिक है। बायोरेमिडिएशन प्रक्रिया द्वारा इसे सामान्य स्तर पर लाए जाने की योजना है। जिसमें मैपल आर्गटेक इण्डिया लिमिटेड नामक एजेन्सी से कोटेशन प्राप्त किया गया है। उक्त एजेन्सी द्वारा जल शोधन हेतु नाले पर जाल लगाकर ठोस अपशिष्ट को निकाल लिया जायेगा एवं 1000 ली० की क्षमता वाले प्लास्टिक के डब्बे (डोजिंग टैंक) में पानी भरकर



कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया  
पत्रांक 370 /12-13-दिनांक, देवरिया, अगस्त 13 /2021  
सेवा में,

सदस्य सचिव  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ ।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नुरुल सेहर लारी  
बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित ओ0ए0 संख्या-170/2021  
दिनांक 20.07.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जिला पर्यावरण समिति देवरिया की बैठक दिनांक  
11.08.2021 को सम्पन्न हुई, बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्त (प्रति संलग्न)  
जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित है को समिति द्वारा 'डिस्ट्रिक इनवायरमेन्ट  
प्लान' में शामिल करने का निर्णय लिया गया। अतः आप महोदय से निवेदन है कि  
उक्त कार्यवृत्त को 'डिस्ट्रिक इनवायरमेन्ट प्लान देवरिया' में शामिल करने का कष्ट  
करें।

संलग्नक:-1 जिला पर्यावरण समिति के बैठक की कार्यवृत्त ।

2 जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट ।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 370 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
- 2-निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ ।
- 3-जिलाधिकारी, देवरिया ।
- 4-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर ।

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 20.07.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 11.08.2021 को आयोजित जिला पर्यावरणीय समिति के बैठक की कार्यवृत्ति:-

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2021 को मा0 एन0जी0टी0 के निर्देश के क्रम में आयोजित बैठक में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी जिला पर्यावरणीय समिति के सदस्यगणों को स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी इसमें समिति के सदस्यों को मा0एन0जी0टी0 का आदेश जो कि आदेश सं0-170/2021 दिनांक 20.07.2021 के रूप में निर्गत था उसे पढ़ कर सुनाया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 03.08.2021 को अपर मुख्य सचिव नगर विकास उ0प्र0 शासन लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी, देवरिया महोदय द्वारा पत्रांक 791/(1-7) एल0वी0 सी0-2021 दिनांक 03.08.2021 द्वारा समिति गठन किया गया जिसमें सुश्री गुन्जन द्विवेदी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, सलेमपुर, श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर, श्री वी0के0गुप्ता, सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, देवरिया, श्री अविनाश कुमार जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया तथा श्री राजन तिवारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लार, सदस्य थे। उक्त समिति द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष दिनांक 10.08.2021 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को भी पढ़ कर समस्त सदस्यों को सुनाया गया। सर्व सम्मति से यह निर्णय पारित किया गया कि जो समस्या नुरुल सेहर लारी निवासी नगर पंचायत लार देवरिया मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष उठाया गया उसके समाधान के लिये नगर पंचायत लार द्वारा जमीन लीज पर लेकर प्रश्नगत नाले के पानी को बायोरेमेडियसन प्रक्रिया द्वारा शोधित कर गिराया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि सिवेज का पानी सीधे नाले में न गिरे। समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिये नाला बनवाकर उसे निकटतम प्राकृतिक बहाव में (चनुकीघाट के समीप छोटी गण्डक) जल को शोधित कर मिलाया जाना चाहिए। बैठक में उपरोक्त कार्य योजना को जिला पर्यावरण योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है तथा यह कार्यवृत्त जिला पर्यावरण योजना का अंश होगा। अन्त में समिति के समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक को समाप्त किया गया।

31/8/21  
जिलाधिकारी  
देवरिया

**कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया**

पत्रांक 368 /12-13-1 उक्तदिनांकित। 13-8-2021

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1-मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया ।
- 2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देवरिया ।
- 3-क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 रा0औ0वि0नि0लिमिटेड, गोरखपुर ।
- 4-अपर जिलाधिकारी, प्रशासन देवरिया (नोडल अधिकारी, नगर विकास विभाग) ।

क्रमश:- 2

(2)

- 5-मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया (राजस्व विभाग) ।
- 6-अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत देवरिया ।
- 7-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायते, देवरिया ।
- 8-जिला पूर्ति अधिकारी, देवरिया ।
- 9-मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया ।
- 10-मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देवरिया ।
- 11-अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, द्वितीय खण्ड, देवरिया ।
- 12-अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, देवरिया ।
- 13-अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, देवरिया ।
- 14-अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया ।
- 15-उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देवरिया ।
- 16-पुलिस अधीक्षक, यातायात, देवरिया ।
- 17-उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र देवरिया ।
- 18-क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0 एस0आई0डी0सी0, देवरिया ।
- 19-जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया ।
- 20-उप कृषि निदेशक, देवरिया ।
- 21-जिला उद्यान अधिकारी, देवरिया ।
- 22-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, देवरिया ।
- 23-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, देवरिया ।
- 24-प्रबन्धक, इण्डेन गैस, एजेन्सी पुलिस लाईन देवरिया ।
- 25-प्रबन्धक इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड बैतालपुर देवरिया ।
- 26-क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देवरिया ।
- 27-उपायुक्त श्रम रोजगार, ग्राम्य विकास विभाग, जनपद-देवरिया ।
- 28-जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया
- 29-प्रधानाचार्य, राजकीय पालिटेक्निक, देवरिया (नोडल प्राविधिक शिक्षा) ।
- 30-डा0 एस0एन0सिंह, एन0जी0ओ0 सदस्य ।
- 31-श्री सिराज वजीह गोरखपुर इनवायरमेन्टल एक्शन ग्रुप ।

आ. सु. ५  
जिलाधिकारी  
देवरिया